

भारत सरकार  
आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय  
राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन  
Government of India  
Ministry of Housing and Urban-Poverty Alleviation  
National Buildings Organisation

अनुसूची-1 व 2 - 31 मार्च..... को समाप्त होने वाले वर्ष की विवरणी।

Schedule I/II Return for the year ending 31<sup>st</sup> March.....

अनु. 1 सांख्यिकीय विवरणी 25,00,000 या उससे अधिक लागत वाली नयी अथवा निरंतर जारी परियोजनायें, जो केन्द्रीय/राज्यअभिकरणों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा ली गयी है; सभी क्षेत्रिय एककों (यूनिटों) द्वारा भरी जानी है। अनु. II सभी भवन निर्माता (बिल्डर्स) द्वारा शहर के श्रेणी I एवं II तथा चयनित शहर श्रेणी III से VI को भरी जानी है।

Schedule I is to be filed by field units of Central/State Construction Agencies and Central/State PSUs if the total cost of the projects undertaken, new or continuing, costing Rs. 25,00,000 or more. Schedule II is to be filled by all builders in the Class I, II and selected Class III to VI towns.

1. पहचान			
Identification:			
i)	सेक्टर - सार्वजनिक/निजी		
	Sector - Public/Private		
ii)	परियोजना का नाम		
	Name of Project:		
2. परियोजना की स्थिति			
Location:		स्थान	जिला
		Place	Distt.
		राज्य	ग्रामीण/शहरी
		State	Rural/Urban

3. (क) आरम्भ की तिथि (ख) परियोजना का पूर्ण स्वीकृत मूल्य  
(i) Date of Commencement (ii) Total Approved Cost of the Project:

4. कार्यकारी एजेंसी (कूट):   
Executing Agency (Code):

5. निर्माण का स्वरूप (कूट):   
Nature of Construction (Code):

6. भवन का प्रकार (कूट):   
Type of Buildings (Code):

7. परियोजना में सभी तलों का कुल कुर्सी क्षेत्रफल वर्ग मीटर में  
Total Plinth Area of all the floors in Projects in Sq. Mt.:

8. परियोजना में सभी तलों का कुल फर्शी क्षेत्रफल वर्ग मीटर में  
Total Floor Area of all the floors in Sq. Mt.:

9. अगर मद संख्या 6 में यदि कोड '1' है, तो परियोजना में कुल रिहायशी एककों की संख्या  
If Code 1 in item 6, then total No. of dwelling units in the project:

10. परियोजना में रिहायशी एककों की संख्या :

No of dwelling units in the project by:

- i) 1 कमरे वाले एकक/EWS ii) 2 कमरे वाले एकक/LIG  
iii) 3 कमरे वाले एकक/MIG iv) 4 या अधिक कमरों वाले एकक/HIG

11. परियोजना का कार्य सम्पादन

(कूट)

Whether project is completed

(Code)

12. मद संख्या 11 में यदि कोड 1 एवं 2 है तो कार्य सम्पादन की तिथि :

If Code 1 & 2 in Item 11, the date of completion of Work:

13. परियोजना में कुल निवेश :

Total Investment made in the project :

मदें Items	नवीनतम स्वीकृत मूल्य Latest Approved Cost		चालू वर्ष में किए गए निर्माण का मूल्य Value of work done during the current year		कार्य आरम्भ करने से अब तक किए गए निर्माण कार्य का मूल्य Value of work done since beginning of work	
	सामग्री Material	श्रम Labour	सामग्री Material	श्रम Labour	सामग्री Material	श्रम Labour
निर्माण का हिस्सा Building Portion						
स्वच्छता और जलापूर्ति Sanitary & Water Supply						
विद्युत फिटिंग्स Electrical fittings						

14. टिप्पणी :

14. Remarks:

कोड के लिए :

Codes for:

कोड 4 : सी.पी. डब्ल्यू डी-1, एम.ई.एस-2, रेलवे-3, पी. व टी. -4, केन्द्रीय पी.एस.यू.-5, राज्य पी.एस.यू.-6, राज्य पी.डब्ल्यू.डी./विकास प्राधिकरण/विभाग-7, बिल्डर/ठेकेदार-8, निजी व्यक्तिगत-9.

Item 4: CPWD - 1. MES - 2, Railways - 3, P&T - 4, Central PSU - 5, State PSU - 6, State PWD/Development Authority/Deptt.-7, Builder/ Contractor-8, Private Individual-9.

कोड 5: नया-1, अतिरिक्त-2, नव-निर्मित-3, मरम्मत-4

Item 5: New-1. Additions-2. Alterations-3. Repairs-4.

कोड 6: पारिवारिक रिहायशी-1, अपारिवारिक रिहायशी-2, औद्योगिक-3, व्यापारिक-4, संस्थागत-5, अन्य-9.

Item 6: Family Residential-1. Non-family residential-2, Industrial-3, Commercial-4, institutional-5, Others-9

कोड 11: चालू वर्ष के अन्दर शुरू व पूर्ण-1, पूर्ववर्ती वर्ष में आरम्भ तथा चालू वर्ष में पूर्ण-2, गत वर्षों से कार्य जारी-3, चालू वर्ष में आरम्भ तथा निरन्तर कार्य जारी-4.

Item 11: Started and completed current year-1, Started in earlier year and completed in current year-2, ongoing from previous year-3, Started in current year and continuing-4.

\*\*\*

भारत सरकार  
आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय  
Government of India  
Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation

अनुसूची भरने के लिये अनुदेश  
INSTRUCTION FOR FILLED-IN SCHEDULE

31 मार्च..... को समाप्त होने वाले वर्ष की विवरणी।

Return for the year ending 31<sup>st</sup> March.....

**अनुसूची-I (सार्वजनिक क्षेत्र) :** यह सांख्यिकीय विवरणी/अनुसूची प्रत्येक क्षेत्रीय इकाई द्वारा 25 लाख रुपये या इससे अधिक कुल लागत वाली सभी चालू नई परियोजनाओं के लिये अलग-अलग सभी केन्द्र/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की निर्माण एजेंसियों जैसे कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/सैनिक इंजीनियरी सेवा/रेलवे/पी एण्ड टी/लोक निर्माण विभागों/विकास प्राधिकरणों/आवास बोर्ड/नगर पालिकाओं आदि एवम केन्द्र/राज्यों के सार्वजनिक उपक्रम के द्वारा भरी जानी है। वे सारी परियोजनाएँ जो ली गयी/चालू हैं, जिसकी कुल लागत रुपये 25 लाख से कम है उन सभी के लिये निल (शून्य) सूचना भेजी जानी है। उन सभी परियोजनाओं के लिये अलग-अलग विवरणी भरी जानी है, जिनकी लागत रुपये 25 लाख से अधिक हो, चाहे उन प्रत्येक परियोजना की लागत कुछ भी हो।

**Schedule-I (Public Sector) :** This Statistical return/schedule is to be filled by all the Central/State/UTs construction agencies such as CPWD/MES/Railways/P&T/PWD's/Development Authorities/Housing Boards/Municipalities etc. and State & Central PSU's, if the total cost of all the project currently undergoing/new by each field unit separately is Rs. 25 lakhs or more. If the total cost of all the projects undertaken/continuing does not exceed Rs. 25.00 lakh, a nil report has to be filled for all the projects. If the total cost exceeds Rs. 25.00 lakh, a separate return for all the projects, irrespective of the cost of individual project, has to be filled.

**अनुसूची II (निजी क्षेत्र) :** - यह विवरणी/अनुसूची श्रेणी-I एवम II शहरों और श्रेणी III से VI के चुने हुए शहरों में सभी भवन निर्माताओं/व्यक्तियों द्वारा भरी जानी है।

**Schedule-II (Private Sector) :** - This return/schedule is to be filled by all builders/individual in class I & II towns and the selected class III to class VI towns. The returns have to be filled with respect of "New Construction" only.

1. पहचान : स्वतः स्पष्ट

**Identification :** Self explanatory

2. स्थिति : यहाँ पर सुनिश्चित किया जाना है कि भवन परियोजना, नगर निगम, नगर पालिकाओं और छावनी क्षेत्र में है।

स्थान, जिला, राज्य, ग्रामीण व शहर स्वतः स्पष्ट हैं। शहर, जिला, राज्य का नाम लिखा जाना चाहिये।

**Location :** It is to be ascertained here that the building project are within the town, municipalities and cantonment area.

Place, District, State Rural & Urban are self explanatory, Town, District & State name should be written.

3. निर्माण आरम्भ की तिथि : जब निर्माण स्थान पर पहली बार योजना एवम डिजाइन अवस्था जैसे, स्थान की तैयारी, साइट पर सामग्री और इमारती समान की सुपूर्दगी, उत्खनन की शुरुआत या नींव का पत्थर रखने के बाद पहली बार व्यवहारिक कार्यवाही की शुरुआत की गयी।

**Date of Commencement:** When the first physical operation are undertaken on the building site after planning & designing stages i.e. site preparation, delivery of materials & equipments to the site, the start of excavation or the lying of foundation stone.

**अनुमोदित लागत :** - परियोजना की अनुमोदित लागत है, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की गयी है। मूल्य पूर्ण संख्या में रुपये .....00 में भरा जाना चाहिये।

**Approved Cost:** The approved cost of the project, which is approved by the competent authority. The amount should be entered here in Rs. 0.00 (whole number)

4. कार्यपालक एजेंसी/अभिकरण : स्वतः स्पष्ट

**Executing agency (Codes) :** Self explanatory

5. निर्माण का प्रकार (कूट) : स्वतः स्पष्ट

**Nature of Construction (Codes) :** Self explanatory

6. निर्माण का स्वरूप (कूट) : स्वतः स्पष्ट

**Type of Building (Codes) :** Self explanatory

7. भवन में सभी कुर्सी फर्शों के कुल फर्शी क्षेत्रफल ..... वर्ग मीटर : कुल कुर्सी क्षेत्रफल का अर्थ, बहुमजिले भवनों या एक मजिल से अधिक वाले भवन के सम्बन्ध में सभी फर्शों के क्षेत्रफल की कुल योग की गणना अंकित करें।  
**Total Plinth area of all the floors in project in Sq. mt.:** - Total plinth area means the sum total of plinth of all the floors in case of multi-storey buildings or more than one floor is to be calculated here.
8. भवन में फर्शों/फ्लोर का कुल फर्शी क्षेत्रफल.....वर्ग मीटर : इसका मतलब छत के अन्दर के क्षेत्र से है। इसमें कमरों, रसोई, स्नानागार आदि के क्षेत्र शामिल हैं परन्तु इसमें संरचना के अन्दर व बाहर बिना ढका क्षेत्र शामिल नहीं है जैसे - बालकनी, सीढियाँ आदि। भवन में वृद्धि/परिवर्तन के केस में, मकान का कुर्सी क्षेत्रफल तथा फर्शी क्षेत्रफल में आपस में सम्बन्ध होना चाहिये जैसे कि कुल फर्शी क्षेत्रफल, कुर्सी क्षेत्रफल से कम या बराबर हो सकता है परन्तु अधिक नहीं हो सकता।  
**Total floor area of all the floors in sq. mt.: (Carpet area):** It means inside roofed area. It includes the area of the rooms, kitchen, bathroom etc. but exclude uncovered area both inside & outside of the structure e.g. Terrace, stair, landing etc. In case of alteration & addition to the existing building, the plinth area & floor area should relate to each other i.e. total floor area may be less than plinth area or equal to plinth area but not more than plinth area.
9. यदि मद 6 में कूट-1 है, तो परियोजना में रिहायशी इकाईयों की कुल संख्या - स्वतः स्पष्ट।  
**If code-1 to items 6, then total no. of dwelling units in the project :** - Self explanatory
10. परियोजना में रिहायशी इकाईयों की संख्या : इकाईयों का वर्गीकरण, श्रेणी के आधार पर निम्न प्रकार है :-  
**No. of dwelling Units in the Project:** The classification of units by category is as follows: -  
 ई.डब्ल्यू.एस. (< 500 वर्गफुट)  
 EWS (< 500 Sq. ft.)  
 एल.आई.जी. (500 - 800 वर्गफुट)  
 LIG (500 - 800 Sq. ft.)  
 एम.आई.जी. (800 - 1200 वर्गफुट)  
 MIG (800 - 1200 Sq. ft.)  
 एच.आई.जी. (>1200 वर्गफुट)  
 HIG (>1200 Sq. ft.)
11. क्या परियोजना पूर्ण हो गयी : स्वतः स्पष्ट  
**Whether Project is completed:** Self explanatory
12. यदि मद 11 में कूट 1 एवम 2 है तो, कार्य के पूर्ण होने की तिथि : - स्वतः स्पष्ट  
**If code 1 & 2 in the item 11 date of completion of work:** Self explanatory
13. परियोजना में किया गया कुल निवेश : परियोजना का कुल निवेश से सम्बन्धित सूचना विभिन्न मदों में एकत्रित की जानी है।  
**Total investment made in the project:** The information pertaining to total investment to the project is to be collected on different heads.  
 नवीनतम अनुमोदित लागत : वह लागत है जो परियोजना के लिये सक्षम प्राधिकारी ने अनुमोदित की है। यदि लागत में कोई परिवर्तन है तो नवीनतम अनुमोदित लागत दी जानी चाहिए।  
**Latest approved cost:** This is the cost at which the project is approved by the competent authority. If there is a change in the cost, the latest approved cost is to be given.  
 चालू वर्ष में किये गये कार्यों का मूल्य : इसमें संरचना में लगायी गयी सामग्री की लागत, श्रम लागत और उपयुक्त ऊपरी मद की लागत जो चालू वर्ष के दौरान आयी हो, को शामिल किया जाये।  
**Value of work done during the current year:** It includes the cost of material incorporated in the structure, cost of labour and appropriate over head cost incurred during the current year.  
 परियोजना के शुरू से किये गये कार्य का मूल्य : परियोजना की शुरुआत से अभी तक आया कुल व्यय।  
**Value of work done since beginning of work:** It is the total expenditure incurred since the beginning of project.
14. टिप्पणी/अभियुक्ति : स्वतः स्पष्ट।  
**Remarks:** Self-explanatory